Salasar Techno Engineering Limited

June 28, 2022

Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051	Deptt of Corporate Services BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001
NSE Symbol: SALASAR	**Scrip Code: 540642**

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation regarding dispatch and publication of Postal Ballot Notice

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published the Postal Ballot Notice and remote e-voting instructions in the Business Standard Hindi and English edition newspapers on June 28, 2022.

Further, We would like to inform you that the Company has on 27th June, 2022 completed dispatched of Postal Ballot Notice to the members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 24th June, 2022.

Please find attached the copies of the aforesaid advertisements.

Submitted for your information and records.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Salasar Techno Engineering Limited

RAHUL RASTOGi Digitally signed by RAHUL RASTOGi Date: 2022.06.28 18:38:30 +05'30'

Rahul Rastogi
Company Secretary

CIN No. - L23201DL2001PLC174076

Unit 1- Khasra 265, 281-283, Parsaun-Dasna, Jindal Nagar, Distt. Hapur-201313
Unit 2- Khasra 1184, 1185, Khera, Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, Distt. Hapur-245304
Unit 3- Khasra 686/6, Khera, Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, Distt. Hapur-245304
Office- KL-46, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002
Regd. Office- E-20, South Extension 1, New Delhi-110049

+91 8938802180, 7351991000
+91 120 6546670
Fax: +91 11 45823834

towers@salasartechno.com
marketing@salasartechno.com

www.salasartechno.com

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **मनसुख स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड** सेबी पंजीकरण सं. आईएन-डीपी-36-2015, पंजीकृत कार्यालय बी-4126, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 ने सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में अपने पंजीकरण त्याग करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। कंपनी ने डीपी आईडी 16400/02/03/04 के अंतर्गत अपने कार्य परिचालन मनसुख सिक्योरिटीज एण्ड फाइनैंस लिमिटेड सेबी पंजीयन सं. आईएन-डीपी-72-2015, पंजीकृत कार्यालय बी-4126, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 को पहले ही सुपुर्द कर दिया है।

कृते **मनसुख स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड**

SALASAR
Building a stronger future

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L23201DL2001PLC174076
पंजी. कार्यालय: ई-20, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली-110049
Ph: +91-120-6546670; **E-mail id:** towers@salasartechno.com
Website: www.salasartechno.com

पोस्टल बैलेट व रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 (इस समय मौजूद के लिए किसी वैधानिक संशोधन(ओं) या पुनःसंलग्न(ओं के सहित) के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 व अन्य लागू प्रावधानों और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, साधारण परिपत्र नं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 और साधारण परिपत्र नं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 ('एमसीए परिपत्र') तक उपरोक्त वर्णित परिपत्रों में दिए गए ढांचे के विस्तार के संबंध में व सेबी (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 44 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रानिक मोड ('ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से वोटिंग द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट सूचना निम्नलिखित व्यापार के संबंध में शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ डेट अर्थात 24 जून, 2022 तक सदस्यों/डिपोजिटरी के रिकॉर्ड्स को ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है।

मद सं.	विवरण
1	विशेष प्रस्ताव : कंपनी द्वारा फंड लेने और प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देना।
2	साधारण प्रस्ताव : कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी करने और परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में संशोधन
3	विशेष प्रस्ताव : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत ऋण राशि पर विचार करने व अनुमोदन के लिए

वोटिंग अधिकार कट-ऑफ डेट तक सदस्य(ओं) में रजिस्टर शेयरों की चुकता मूल्य पर रिनॉक किया जाएगा और तिथि तक जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, वे केवल इसे सूचना के उद्देश्य से देखें। आवश्यकता अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डालने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए सभी सदस्यों को विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को शामिल की है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट पर वोट डालने की सुविधा निम्नलिखित अवधि के लिए उपलब्ध होगी :

ई-वोटिंग की शुरुआत	मंगलवार, 28 जून 2022, सुबह 9.00 बजे से भामास
ई-वोटिंग की समाप्ति	बुधवार 27 जुलाई 2022, शाम 5.00 बजे से भामास तक

इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात 24 जून, 2022 तक भौतिक या गैरभौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। सदस्यों से व्याख्यात्मक विवरण के साथ प्रस्तावित प्रस्ताव को समझने और निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने और **बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को शाम 5.00 बजे तक,** उसके बाद नहीं ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने का अनुरोध है। बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट व ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में दीपिका मधवाल एंड एसोसिएट्स (एसीएस नं. 31234 सी.पी. नं. 14808), अभ्यासरत कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। जांचकर्ता ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने पर विचार करने के बाद कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। वोटिंग के परिणाम शुक्रवार, 29 जुलाई, 20222 तक या पहले घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज को संचारित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के सहित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। उक्त परिणाम कंपनी के सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

वोटिंग के लिए निर्देशों के सहित पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com और स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com की वेबसाइट के संबंधित सेक्शन में भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम करने के लिए कंपनी ने उक्त वर्णित परिपत्र के संबंध में ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए अपने रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ उचित प्रबंध कर सकते हैं। इस पोस्टल बैलट के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अपने ई-मेल पते रजिस्टर न करने वाले शेयरधारक कंपनी और कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ रजिस्टर अपने मेल-आईडी अस्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारक compliance@salasartechno.com और mukesh@bigshareonline.com को अनुरोध लिख सकते हैं। ई-मेल के सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, शेयरधारक सूचना और इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-वोटिंग में सक्षम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करेंगे।

आपसे सीडीएसएल के ई-वोटिंग सिस्टम www.evotingindia.com पर लॉगिंग करके रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का अनुरोध है। ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड और यूजर आईडी निम्नानुसार है :

ईवीएसएन (इलैक्ट्रानिक वोटिंग क्रम संख्या)	यूजर आईडी	डिफाल्ट पैन/क्रम संख्या
220624001		अपना पैन उपयोग करें

इलैक्ट्रानिक वोटिंग शुरू होने की तिथि व समय	इलैक्ट्रानिक वोटिंग समाप्ति की तिथि व समय
मंगलवार, 28 जून, 2022 सुबह 9.00 बजे भामास	बुधवार, 27 जुलाई, 2022 शाम 5.00 बजे भामास

अपने रजिस्टर ई मेल पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, अपने डिपोजिटरी को इसके बारे में बताएं। किसी भी पूछताछ के मामले में आप www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या सीडीएसएल से निम्नलिखित टॉल फ्री नंबर 18002005533 या 022-22728153 पर संपर्क करें या कंपनी से संपर्क करें।

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(राहुल रस्तोगी)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय- केआरएम टॉवर्स, 8वीं तल, हैरिंग्टन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 20.04.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों **1. श्री विवेक कुमार संधु, 2. श्रीमती आशा रानी, 3. श्री सचिन कुमार** से सूचना में उल्लिखित दिनांक **09.04.2021 को राशि रु. 7,71,628.93/- (रुपये सात लाख इकहत्तर हजार छह सौ अठाईस और तिरानवे पैसा मात्र) को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।**

कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **30 मई, 2022** को भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **राशि रु. 7,71,628.93/- (रुपये सात लाख इकहत्तर हजार छह सौ अठाईस और तिरानवे पैसा मात्र) और इस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

गांव मित्राऊं की राजस्व संपदा, गोपाल नगर की आबादी, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 स्थित संपत्ति नं. 43, माप 80 वर्ग गज, खसरा नं. 9/2 में से, के सभी भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवत्: पूर्व: रोड 20' चौड़ा, पश्चिम: अन्य जमीन, उत्तर: प्लॉट नं. 43-ए, दक्षिण: अन्य प्लॉट

दिनांक: 30.05.2022 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता सं.: 13429821 — (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय- केआरएम टॉवर्स, 8वीं तल, हैरिंग्टन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 05.03.2022 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों **1. राजीव कुमार, 2. मंजू रानी** से सूचना में उल्लिखित दिनांक **02.03.2022 को राशि रु. 10,34,410.69/- (रुपये दस लाख चौंतीस हजार चार सौ दस और उनहत्तर पैसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।**

कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **23 जून, 2022** को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **राशि रु. 10,34,410.69/- (रुपये दस लाख चौंतीस हजार चार सौ दस और उनहत्तर पैसा मात्र) और इस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट नं. 123 (अब प्लॉट नं. 2209 नाम से ज्ञात), माप 75 वर्ग गज, खसरा नं. 19//6/2, 15/1, मौजा गाउंछी, पर्वतीय कालोनी, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के सभी भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवत्: पूर्व: प्लॉट नं. 122, पश्चिम: इसी प्लॉट का भाग, उत्तर: दीगर संपत्ति, दक्षिण: रास्ता 15 फुट

दिनांक: 23.06.2022 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: फरीदाबाद — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता सं.: 18137285 — (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय- केआरएम टॉवर्स, 8वीं तल, हैरिंग्टन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 01.10.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों **1. वंशिका फैशन प्रोप. अजय कुमार, 2. अजय कुमार, 3. लक्ष्मण सिंह, 4. मंजू देवी, 5. आर के गारमेंट्स प्रोप. लक्ष्मण सिंह** से सूचना में उल्लिखित दिनांक **30.09.2021 को राशि रु. 1,47,33,305.61/- (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ पाँच और इकसठ पैसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।**

कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **24 जून, 2022** को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **राशि रु. 1,47,33,305.61/- (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ पाँच और इकसठ पैसा मात्र) और इस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

टी.डी.एस. सिटी (ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी), इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-ए-1, परगना और तहसील- लोनी, जिला- गाजियाबाद स्थित संपत्ति प्लॉट नं. एफ-13, एरिया माप 450 वर्ग मीटर, के सभी भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवत्: पूर्व: प्लॉट नं. एफ-14, पश्चिम: प्लॉट नं. एफ-12, उत्तर: रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. एफ-15

दिनांक: 24.06.2022 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: गाजियाबाद — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता सं.: 27797691 और 34102328 — (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे मौजूदा सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणी/यों को बुलाने के लिए एक मांग सूचना जारी की थी।

LAN No.	ऋणी/यों	राशि	मांग सूचना तिथि	13(4) नियम व तिथि	संपत्ति पता
LNAWR00318-190000547	श्री सुबे सिंह श्री नरेंद्र कुमार व श्रीमती भूतेरी	रू. 7,42,863/-	21.04.2022	24.06.2022	खसरा नं. 282, गांव घाघोली, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान-301001

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन यहां नीचे वर्णित राशि और उसपर ब्याज सहित आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : अलवर — आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लि.
दिनांक : 27.06.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

SHRIRAM City
MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

माँग सूचना

पंजीकृत कार्यालय :कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001.
शाखा कार्यालय : 245-246, दूसरी मंजिल, ओमकरन टॉवर, हनुमान नगर-डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021, वेबसाइट : www.shriramcity.in

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। उनके अन्तिम ज्ञात पते पर सूचनाएँ भेजी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम	बकाया राशि	ऋण खाता संख्या तथा ऋण राशि	प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता
मैसर्स एस.के. टायर्स (प्रोपराइटर श्री मोहम्मद आजाद शेख) 2ए, ट्रांसपोर्ट नगर, निकट एलपीजी पम्प, उदयपुर 313001 श्री मोहम्मद आजाद शेख पुत्र नत्थे खान श्रीमती शबनम बेगम पत्नी आजाद शेख 87, मुर्शिद नगर, सवीना, उदयपुर-313002 **एनपीए तिथि : 06 मई, 2022** **मांग सूचना की तिथि : 20.06.2022**	रू. 10452137/- (रुपये एक करोड़ चार लाख बावन हजार एक सौ सैंतीस मात्र) फोर क्लोजर राशि दिनांक 18.06.2022 के अनुसार	ऋण खाता CDUD2LP2107160001 अनुबंध तक रू. 95,00,000/- (रुपये पिचानबे लाख मात्र)	वाणिज्यिक सम्पत्ति : भूमि/प्लॉट का समस्त भाग, प्लॉट सं. 02-ए (प्लॉट नं. 02 का भाग, ब्लॉक-डी), ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान) में स्थित, माप 833 वर्ग फीट। सीमा विवरण : पूर्व : प्लॉट नं. 02-डी पश्चिम : सड़क उत्तर : प्लॉट नं. 02 दक्षिण : प्लॉट नं. 02-बी

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : उदयपुर — ह./ अधिकृत प्राधिकारी
दिनांक : 28.06.2022 — श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

Fullerton Grihashakti

फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: पांचवी तथा छठवीं मंजिल, बी-विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवाई, मुम्बई-400 076
पंजीकृत कार्यालय: मेप टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चैन्नई-600095

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परीशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि, फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनैंस कंपनी [नेशनल हाउसिंग बैंक (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व प्राप्त) के साथ भलीभांति पंजीकृत] (जिसे यहां बाद में "एफआईएचएफसीएल" कहा गया है, पंजीकृत कार्यालय **मेप टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड मदुरावोयल, चैन्नई, तमिलनाडु-600095,** के **अधिकृत अधिकारी** होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत नीचे उल्लेखित तारीख को मांग सूचना जारी की गई थी, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम एवं पता नीचे उल्लेखित है) को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों के अंदर** उक्त सूचना में उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम चुकता करने को कहा गया था। यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों एवं जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर **कब्जा कर लिया** गया है। विशेष तौर पर यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए **फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम साथ में ऋण खाता सं.	प्रत्याभूत सम्पत्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	कब्जा की तारीख
01	**एलएएन: 611607210449188 तथा 611608810667559** **(1) पंकज नेगी,** पिता राजेन्द्र नेगी, **(2) राजेन्द्र नेगी,** पिता दयाल सिंह, **(3) भगवती देवी,** पति राजेन्द्र सिंह **पता 1 :** आवास सीटी-97, यमुना कॉलोनी, रोडन मोटर के निकट, देहरादून, उत्तराखंड-248001	मौजा नालुकावाला परगना पछवादून, जिला-देहरादून में स्थित खाता नं. 4 (फसली वर्ष 1420 से 1425) खसरा नं. 27 केए मिन., क्षेत्र का परिमाप 114.80 वर्ग मीटर सम्मिलित भूमि का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहद्दी निम्नानुसार: पूर्व में: सीता रानी की भूमि साइड का परिमाप 30 फीट, पश्चिम में: 25 फीट चौड़ा पैसज साइड का परिमाप 31 फीट, उत्तर में: श्री परवीन कुमार की भूमि साइड परिमाप 36 फीट, दक्षिण में: अन्य की भूमि, साइड परिमाप 45 फीट।	**तारीख:** 29.01.2022 रु. 22,89,781.30/- (रुपये बाईस लाख नवासी हजार सात सौ इक्यासी एवं पैसे तीस मात्र) साथ में दिनांक 27.01.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**25.06.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)**
02	**एलएएन: 611607210590169 तथा 611607510617856** **(1) निर्मल पाल,** पिता द्वारका प्रसाद, **(2) उषा पाल,** पति निर्मल पाल, **पता:** आवास चकरोटा रोड, केहरी गाँव, प्रेम नगर, ट्रैक्टर स्टैंड के निकट, देहरादून, उत्तराखंड-248001	मौजा केहरी परगना पछवा दून तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में स्थित खाता नं. 169 (फसली 1395 से 1400) खसरा नं. 1395/1416, क्षेत्र का परिमाप 150 वर्ग मीटर भूमि का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	**तारीख:** 03.02.2022 रु. 40,67,807.06/- (रुपये चालीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ सात एवं पैसे छह मात्र) साथ में दिनांक 27.01.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**25.06.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)**
03	**एलएएन: 611707210506925** **(1) मनोज कुमार,** पिता राम नाथ, **(2) रजनी,** पति मनोज कुमार, **पता 1:** आवास फ्रेन्ड्स कॉलोनी, रावली महदुद, शिवालिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के सामने, हरिद्वार, उत्तराखंड-249401	ग्राम रावली महदुद, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित खसरा नं. 466 में सम्पत्ति मकान परिमाप पूर्व में 35 फीट, पश्चिम में 35 फीट, उत्तर में 20 फीट, दक्षिण में 20 फीट, कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट यानी 65 वर्ग मीटर, भूतल पर 4 कमरा, 2 शौचालय स्नानागार, सीढ़ी तथा पहली मंजिल पर 5 कमरा 2 शौचालय स्नानागार, कुल अच्छादित क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट। **चौहद्दी:** पूर्व में: अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिम में: अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर में: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में: अन्य व्यक्ति की भूमि	**तारीख:** 21.01.2022 रु. 21,86,494.32/- (रुपये इक्कीस लाख छियासी हजार चार सौ चौरानवे एवं पैसे बत्तीस मात्र) साथ में दिनांक 18.01.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**24.06.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)**
04	**एलएएन: 611707210524837** (1) **विजय कुमार शाह,** (2) **रितेश कुमार,** (3) **किशनावती** **पता 1:** आवास ब्रह्मपुरी रावली महदुद, शिव मंदिर, हरिद्वार-249401	ग्राम सलेमपुर महदुद-II परगना रुड़की तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित खसरा नं. 1639एम में रिहायसी प्लॉट नं. 55 के हिस्से वाली सम्पत्ति, परिमाप पूर्व में 26.25 फीट, पश्चिम में 26.25 फीट, उत्तर में 40.50 फीट, दक्षिण में 40.50 फीट कुल क्षेत्रफल 1063.125 वर्ग फीट यानी 98.80 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व में: प्लॉट नं. 7, 8, पश्चिम में: 22 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में: प्लॉट नं. 56, दक्षिण में: प्लॉट नं. 55.	**तारीख:** 29.01.2022 रु. 13,88,816.02 (रुपये तेरह लाख अट्ठासी हजार आठ सौ सोलह एवं पैसे दो मात्र) साथ में दिनांक 02.03.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**24.06.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)**
05	**एलएएन: 611707210631361** **(1) रवीन्द्र,** पिता तेलू राम, **(2) पूजा शर्मा,** पति रवीन्द्र **पता 1:** आवास सुल्तानपुर मजरी, सलेमपुर चौक, हरिद्वार, उत्तराखंड-249401	ग्राम सलेमपुर महदुद-II (नगरपालिका सीमा के बाहर), परगना रुड़की तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित खसरा नं. 1712 में, सम्पत्ति प्लॉट नं. 1 परिमाप पूर्व में 28.6 फीट, पश्चिम में 30.3 फीट, उत्तर में 33.6 फीट, दक्षिण में 33 फीट, कुल क्षेत्रफल 980 वर्ग फीट यानी 91.07 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व में: 19 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में: प्लॉट नं. 2, उत्तर में: 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में: अन्य व्यक्ति का प्लॉट	**तारीख:** 29.01.2022 रु. 34,68,778/- (रुपये चौंतीस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) साथ में दिनांक 27.01.2022 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**24.06.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)**
06	**एलएएन: 611709110634787** **(1) अंकुर सिंह,** पिता जसवीर सिंह, **(2) पुष्पा सिंह,** पति जसवीर सिंह **पता 1:** आवास मकान नं. 30, बड़ा परिवार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कनखाल, हरिद्वार उत्तराखंड-249408. **पता 2:** पिंटो पार्क सिरोल ग्वालियर, म.प्र.-474005	टेहरी विस्थापित क्षेत्र ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित खसरा नं. 451 एम की सम्पत्ति प्लॉट नं. 11, जो भूमि नं. 91 के मूल प्लॉट का हिस्सा है, परिमाप पूर्व में: 20 फीट, पश्चिम में: 20 फीट, उत्तर में: 50 फीट, दक्षिण में: 50 फीट कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, यानी 92.93 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व में: अन्य की भूमि, पश्चिम में: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में: प्लॉट नं. 12, दक्षिण में: प्लॉट नं. 10	**तारीख:** 24.12.2021 रु. 8,55,001.70/- (रुपये आठ लाख पचपन हजार एक एवं पैसे सत्तर मात्र) साथ में दिनांक 23.12.2021 की स्थिति के अनुसार ब्याज	**25.06.2022 (भौतिक कब्जा)**

स्थान: उत्तराखंड — हस्ता/-
तारीख: 28.06.2022 — **अधिकृत अधिकारी, फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/28, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चलाघण्टा, बेंगलोर-560071. शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्या समाज रोड, करोल भाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तिया के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफैसी अधिनियम) 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित परंतुक के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और बड़े पैमाने पर जनता को सार्वजनिक सूचित कर रहे है कि बैंक ने बकाए की वसूली के लिए निम्न उल्लेखित खातों में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) यहां निर्धारित दिनांक को ''जो है जैसी है आधार'' और ''जो है जहां है आधार'' पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	वास्तविक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13-2 सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	दिनांक 24.06.2022 को वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक और समय	आरक्षित मूल्य रुपये में	अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	ई-नीलामी की दिनांक और समय	बोली जमा करने की अंतिम दिनांक, समय और स्थान
1	30218850001931	1.) मेसर्स सतीश फ्लावर अपने मालिक श्री सतीश माहतो प्रतिनिधित्व से 2) श्री सतीश माहतो, 3) श्रीमती साधना कुमारी माहतो (गारंटर)	31.07.2019	12.11.2021	रुपये 16,37,494/- (रुपये सोलह लाख सैंतीस हजार चार सौ चौरानवे मात्र)	07.07.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 10,74,600/- (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार छह सौ मात्र)	रुपये 1,07,460/- (रुपये एक लाख सात हजार चार सौ साठ मात्र)	13.07.2022 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)	12.07.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची: खसरा सं. 484, मापक 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम असालतपुर, परगाना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री देविंदर कुमार शर्मा** के स्वामित्व की। सीमांकन प्रकार: पूर्व: 15 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता का प्लॉट।									
2	30218850004199	1.) मेसर्स पारस वेस्ट पेपर अपने मालिक श्री पारस कुमार प्रतिनिधित्व से 2) श्री पारस कुमार 3) श्रीमती रेणु देवी (गारंटर)	26.04.2019	17.01.2021	रुपये 6,07,151/- (रुपये छह लाख सात हजार एक सौ इक्यावन मात्र)	07.07.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 6,19,650/- (रुपये छह लाख उन्नीस हजार छह सौ पचास मात्र)	रुपये 61,965/- (रुपये इकसठ हजार नौ सौ पैंसठ मात्र)	13.07.2022 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)	12.07.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची: आवासीय प्लॉट मापक 100 वर्ग गज खसरा सं. 181 मिन, स्थित आवासीय कॉलोनी सिल्वर सिटी, ग्राम लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, **श्री पारस कुमार पुत्र स्व. श्री छातो माहतो** के स्वामित्व की। सीमांकन प्रकार: पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: 5 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: अन्य की संपत्ति।									

संपत्तियों को ''जो है जहां है आधार'' और ''जो है जैसी है आधार'' पर और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित किया जा रहा है। यह नीलामी बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदाता **मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर)** के माध्यम से वेब पोर्टल **https://janabank.auctiontiger.net** पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और विवरण, मदद, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता **मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क नंबर: 09722778828/079-68136840/51, 55, 56 ई-मेल आईडी: praveen.thevar@auctiontiger.net**
ई-नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों **श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नंबर 7230070463)** से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के लिए, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। कोई सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को भी सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद् द्वारा नीलामी की दिनांक से पहले अप्राप्त ब्याज और सहायक व्यय के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न होने पर संपत्ति बेची जाएगी और बकाया राशि को शेष कर दिया जाएगा, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा, यदि कोई हो।

दिनांक : 28.06.2022, स्थान : दिल्ली एनसीआर — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

GM crops: One step forward, two steps back

Two decades after Bt cotton made its debut in India, commercialisation of genetically modified crops remains mired in complex procedural issues

SANJEEB MUKHERJEE
New Delhi, 27 June

Last month, after a considerable gap, the Haryana government gave Mahyco a no-objection certificate (NOC) to seed major field trials of a herbicide-tolerant (HT) and insect-resistant BT cotton variety, called BG-3 RRF.

In a normal world, field trials of a new variant would have been a routine exercise that seed companies need to conduct to test a variant before its commercial release or further evaluation.

But given the complexities, delays and political controversy that have marked the commercialisation of genetically modified (GM) crops in India, this relatively small move is being seen as a significant step forward in some quarters.

Seed industry players said the latest application for BG-3 RRF field trials was first submitted in 2016 to the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), but was subsequently withdrawn because things weren't moving forward.

Mahyco re-submitted its application in December 2021, after which the company, according to current procedures, had to get an NOC from each state where it wanted to conduct field trials.

The company approached Haryana for trials to be conducted in Kharif 2022. Field trial data for Punjab was already available with the authorities (having been conducted before 2016).

"But, it seems, this year too will be wasted because cotton sowing has already started in several places in north India and after this trial, the data will have to be submitted to GEAC, which will take its own time since the committee, according to our information, hasn't met for a long time. This means practically another year lost," Ram Kaundinya, director general of Federation of Seed Industry of India (FSII), told *Business Standard*.

The seed association and some experts said the approval process has been made this complicated so as to deter companies from developing GM variants, putting the whole science into turmoil. The irony of this, however, is that illegal sales of HTBt cotton have grown.

"Farmers won't wait for the official release of new Bt cotton variants, which is why around 20 per cent of the total cotton acreage in the country is under illegally grown HTBt cotton," Kaundinya said.

STRONG FIBRE

India cotton yield since 2002

Years	Area under cotton* (in million hectares)	Area under Bt cotton** (in million hectares)	Production (in million bales)	Yield (kg per hectare)
2002-03	8.62	0.029	8.62	191
2010-11	11.12	9.63	33	499
2015-16	12.29	10.68	30	415
2019-20	12.58	11.74	32.26	436

Note: All years have not been included; table indicates only major periods in the journey of Bt cotton; cotton marketing year runs from October to September
*Source: Directorate of Economics and Statistics, a bale is equal to 170 kg
**Source: DAC&FW, state governments and Directorate of Cotton Development, Nagpur

For seed companies, the trouble started back in 2010, when the then government, while putting a moratorium on further trials of Bt brinjal, had issued two other notifications.

One was to change the nomenclature of GEAC from Genetic Engineering Approval Committee to Genetic Engineering Appraisal Committee. The second was to make it mandatory for all applicants to get NOCs from each state in which they want to conduct field trials of GM crop variants cleared by the GEAC.

For seed companies, the trouble started back in 2010, when the then government, while putting a moratorium on further trials of Bt brinjal, had issued two other notifications

The first change, pro-GM scientists said, made political interference in the final approval of GM crops more pronounced. The second pushed the entire burden of GM approvals to the states, which do not have the expertise to handle such complicated and technical issues as GM technology.

As a result, the entire structure of GM approvals and trials was stalled. Though some progressive states did approve field trials, those were few and far between. Subsequently, with little forward movement, several companies withdrew their applications for field trials. Thereafter, in 2017, the entire clearance process underwent another change.

Pro-GM groups said that the government, through an informal directive, said that unlike the earlier system of GEAC clearance being subject to NOCs from state governments, the new system required companies and institutes to first get an NOC for field trials from states *before* seeking GEAC approval.

"This overturned the entire process and states, being ill-equipped to handle issues related to field trials of GM crops in the first place, particularly when the GEAC had not cleared them, stopped giving NOCs altogether. As a result, for the past five or six years, no field trial of any GM crop has taken place in the country," said Bhagirath Choudhary, founder director of the South Asia Biotechnology Centre.

He said the entire process has been made so complicated and slow that companies fear venturing into this. "That is why in the last 33 years, just one crop (cotton) has been approved for commercial usage," Choudhury said.

Meanwhile, demand from farmers is growing as attacks of pink bollworm, one of the biggest pest infestations facing cotton farmers in India, are rising by the day.

The result, Choudhury pointed out, is that cheap fakes of BG-3 are proliferating the market, causing losses to all.

He said a strong regulatory mechanism proposed under the draft Biotechnology Regulatory Authority of India Bill should be again considered to ensure that science does not suffer. But the Bill has been in cold storage since 2008.

On the other hand, G V Ramanjaneyulu, executive director, Centre for Sustainable Agriculture, feels that unless there is a regulatory system that caters to the requirements of 21st-century India, curtailing field trials is the only way to ensure that biosafety protocols and norms as far as GM crops are concerned are not violated with impunity by seed companies.

"Also, one must remember that the Supreme Court-appointed high-powered committee on GM crops and subsequent parliamentary panels had found that there is no need for HT crops in the country. So, unless there is an intention to bypass the panel's recommendations, states should not allow field trials of GM crops," Ramanjaneyulu said.

The SC panel had said that over time, HT crops would most likely exert a highly adverse impact on sustainable agriculture, rural livelihoods and environment, and that the panel found them completely unsuitable in the Indian context.

Kaundinya of FSII said that as a middle path, the Centre could explore the possibility of notifying some sites within ICAR-Centres or agriculture universities where field trials of GM crops can be conducted.

"We at FSII have asked for NFTS — notified field testing sites — for the last two years to at least move things forward; otherwise, there is no end to the stalemate," he said.

ON SENTIMENTS

Disparate and slow recovery of sentiments

MAHESH VYAS

After over two years since the devastating lockdown of March-April 2020, the Index of Consumer Sentiments (ICS) is still significantly lower than its pre-lockdown level. The ICS of May 2022 was 35.7 per cent lower than its level in February 2020. Households have suffered a lot more than can be gauged by the usual economic indicators like GDP growth.

The recovery has been uneven. Enterprises reaped record profits and the government benefited by collecting record taxes. But, households struggled to see their nominal incomes recover to their pre-pandemic levels. Average household income in January 2022 was just 3.1 per cent higher in nominal terms than its January 2020 level. The consumer price index rose by 11.4 per cent during the same period. Real household income, therefore, remained much lower than its level before the lockdowns. This is a severe hit to households.

It is not surprising, therefore, that consumer sentiment continues to be seriously bruised. Household perceptions of their own well-being and expectations of their future continue to be worse than they were before the lockdowns.

Consumer sentiments have been recovering, but at a very slow pace. Worse still, this recovery has been decelerating in recent months. Further, this recovery is skewed in favour of the rich.

Between June 2020, when the recovery began, and May 2022, the average monthly increase in the ICS was 2.2 per cent. The median monthly increase was also 2.2 per cent. In January and February 2022, the growth was distinctly higher at 4 per cent and 5 per cent, respectively. Then it fell to 3.7 per cent in March, 3 per cent in April and 0.8 per cent in May. This is the slowing of the recovery process.

June 2022 might do better, but it is unlikely to reflect any significant improvement in sentiments.

The 30-day moving average ICS as of June 26 was 1.3 per cent higher than its level as of May-end. The last four days of June are unlikely to change this position much. The June 2022 ICS may be about 1.3 per cent higher than the level in May 2022.

This looks like a recovery from the falling growth trend and the abysmally low 0.8 per cent growth recorded in May. But, the trend seen during the four weeks of June does not reinforce such a belief. Much of the growth of the ICS in June is derived from the nearly 9 per cent jump recorded in the first week. After that the index fell by 1 per cent in the second week and recovered by 1.3 per cent in the third week. But, in the week ended June 26, the ICS fell by a substantial 2.1 per cent. This yo-yo weekly growth does not support the recovery argument.

Household expectations from the future are muted. This is, perhaps, understandable. Job prospects are not getting any better for the vast majority. The recent Agniveers episode was bad optics for young hopefuls. Inflation has been high and interest rates have been rising. The southwest monsoon got off to a patchy start and kharif sowing is delayed. None of this bode well for households that have still not recovered, in real terms, from the lockdown blow.

While the ICS as of June 26 was 1.3 per cent higher than its level in May 2022, the Index of Current Economic Conditions (ICC), which reflects current conditions of households, had done much better, having scaled up by 2.7 per cent. Growth in the Index of Consumer Expectations (ICE), which reflects expectations, was muted. It grew by only 0.4 per cent.

Poorer households have seen a much slower recovery in consumer sentiments compared to the well-off households. While the overall ICS in May 2022 was 35.7 per cent lower than its pre-pandemic level in February 2020, the ICS of households with incomes less than ₹100,000 per annum was 46 per cent lower.

The pace of recovery of the ICS was directly proportional to the income levels of households. The ICS of households with an annual income between ₹100,000 and ₹200,000 was 40.4 per cent lower; those with incomes between ₹200,000 and ₹500,000 per annum saw the ICS fall by a lower 31.2 per cent; and those with incomes between ₹500,000 and ₹1 million per annum saw the ICS fall by an even lower 30.7 per cent. The lowest fall in the ICS is of households with the highest income bracket of more than ₹1 million per annum. The ICS of these households in May 2022 was 25.2 per cent lower than in February 2020.

This income disparity in consumer sentiments got sharper in May 2022. The overall ICS had grown by 0.8 per cent in the month. However, the lowest rung saw sentiments decline by a substantial 8.2 per cent and the next rung saw their ICS shrink by 3.2 per cent. Only households that earned more than ₹200,000 per annum recorded an increase in ICS in May. The ICS of households with an annual income between ₹200,000 and ₹500,000 increased by 2.4 per cent.

Richer households reported much higher growth in ICS in May 2022. Those with incomes between ₹500,000 and ₹1 million per annum saw their ICS jump up by 18 per cent, and those with annual income in excess of ₹1 million saw their ICS go up by 19.4 per cent.

The slowing down of consumer sentiments can delay the recovery in private final consumption expenditure and the disparity in its recovery has implications on the nature of the recovery.

The writer is MD & CEO, CMIE P Ltd

Manufacturers decry ban on rigid single-use plastics

Industry grouse: no specifications fixed for products, although they are fully recyclable; non-recyclable packaging used by FMCG firms let off

SURAJEET DAS GUPTA
New Delhi, 27 June

Days before the July 1 ban on 22 single-use plastic products, makers of rigid plastic plates, trays, spoons and forks, belonging mostly to the small-scale sector, have complained to the government of adopting different standards on banning single-use plastics.

The Thermoformers and Allied Industries Association (TAIA), which represents 850 manufacturers employing 200,000 people (and 500,000 indirectly), has pointed out that while the government has imposed a blanket ban on their products without providing any specifications for exemptions, it has exempted multi-layered packaging used by large global and domestic fast-moving consumer goods companies for packing snacks, chips, coffee and so on.

This, despite the fact that these packaging materials, with thickness between 20 and 30 microns, are litter-prone, non-bio-degradable, non-recyclable and are made out of materials such as plastic and aluminium.

What's more, says the TAIA, exemption has also been granted to high-density polyethylene (HDPE) carry bags of above 75 microns (they have to go up to 100 microns by December), which are also single-use plastics.

LOSING BATTLE

- **The government has banned** rigid plastic products without any specifications for exemption, even though these products are 100% recyclable
- **The ban threatens to shut down** ₹10,000-cr, mostly small-scale, sector
- **Multi-layered packaging** used by big FMCG companies has been allowed, although it is tough to recycle
- **HDPE carry bags** with thickness above 75 microns have been exempted from ban
- **200 ml single-use PET bottles** also on the exemption list

Even PET (polyethylene terephthalate) bottles with capacity above 200 ml that are commonly used by beverage companies are on the exemption list.

Yet the government has banned the products of the rigid plastic packaging industry, worth ₹10,000 crore, even though they are recyclable and have thickness above 150-200 microns. (Heavy materials can be picked up and recycled unlike lighter ones that stay on in landfills). The rules prohibit the manufacture, sale, distribution and inventory storage of these products despite the fact that they account for only 1.5 per cent of all the gross waste from single-use plastics.

Says Bhavesh Bhojani, secretary of the TAIA, "What we are asking is that just like in other categories, the government should come out with specifications that we have to follow to get exemption. After all, our products are fully recyclable. And we need some time to adjust to the new specifications."

He says that in its presentation to the government, the TAIA has asked for specifications for exemptions — such as rigid plastic plates and trays not weighing less than 5 gm or having thickness not below 150 microns, and plastic cups and glasses weighing not less than 5 gm or having a capacity of 210 ml.

Bhojani points out that loss of employment apart, loans exceeding ₹5,000 crore taken by the companies will turn into non-performing assets if the ban is imposed.

Experts argue that while multi-layered packaging has been allowed because it provides shelf life, under the new recycling rules 30 per cent of the plastic that goes into them has to be recycled over the next three years. The government has also made producers, brand owners and importers responsible for giving details of the way they are recycling the plastic they use.